Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:22:04 IST
Reason: SelfAttested

## राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

**उपस्थित** :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली
3. श्री प्रकाश विश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी
संख्या 2 ता 10 तथा 12 ता 15, 17, 18

### –:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों का खेत खसरा नम्बर 468/3 रकबा 29–14 बीघा भूमि सरहद मौजा कलाथल पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणीं, पानी का टांका, पशुओं के बाड़ा इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीं में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने क्रमांक 55 दिनांक 11/06/2021 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का चाखू को दिये, पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 23/06/2021 को मौके पर जाकर प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान एवं मोतबीरान की उपस्थिति में उक्त भूमि की भूमि पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर उपस्थितजनों को सुनाया गया और उक्त फर्द नियमानुसार अप्रार्थी सं. 30 के कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थी जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र चाखू के खसरा नम्बर 469 रकबा 110–07 बीघा के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5, खसरा नम्बर 469/1 रकबा 110–06 बीघा के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 6 ता 11, खसरा नम्बर 468/1 रकबा 31–16 बीघा के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 12 ता 15, खसरा नम्बर 468/2 रकबा 61–12 बीघा के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 16 ता 23, खसरा नम्बर 468/5 रकबा 4 बीघा के खातेदार अप्रार्थी सं. 24, खसरा नम्बर 466 रकबा 63–10 बीघा के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 25 ता 26, खसरा नम्बर 468/4 रकबा 1–02 बीघा के खातेदार अप्रार्थी सं. 27 ने पैमाईश अनुसार खूंटे रोपने से मना कर दिया और धमकी दी की हम पैमाईश अनुसार खूंटे रोपने नहीं देंगे और न ही हम उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर रहे है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में आगामी काश्त की जायेगी तो उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा सकता है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थी दिनांक 23/06/2021 को उक्त भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थी की हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pingel
Date: 2024.11.06 16:22:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 30 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 तथा 12 ता 15 एवं 17, 18

29.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

की और से अधिवक्ता प्रकश विश्नोई ने वकालतनामा पेश कर जवाब नहीं पेश किये जाने का कथन किया। शेष अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि गांव कलाथल पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 468/3 रकबा 29–14 बीघा स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों और तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 23.06.2021 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि गांव कलाथल पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 468/3 रकबा 29–14 बीघा स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसिलए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 23.06.2021 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

## आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कलाथल पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 468/3 रकबा 29–14 बीघा भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 23.06.2021 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:22:04 IST
Reason: SelfAttested